

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 3212

गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**जलगांव विमानपत्तन का विस्तार**

**3212. श्रीमती समिता उदय वाघ:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के जलगांव विमानपत्तन पर बढ़ते यात्री और विमान यातायात की मांग को पूरा करने के लिए टर्मिनल के विस्तार और हवाई पट्टी के क्षेत्रफल में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक साथ दो विमानों का परिचालन होने की वजह से कम से कम 150 यात्रियों की देखभाल के मद्देनजर उक्त विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन का विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रस्तावित टर्मिनल विस्तार में बैगेज कन्वेयर बेल्ट, वीआईपी लाउंज, बाल देखभाल कक्ष और मौसमी सुरक्षा के लिए शहर की ओर कैनोपी लगाने जैसी अन्य सुविधाओं को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बड़े विमानों के उतरने की अनुमति देने के लिए 1700 मीटर की हवाई पट्टी का विस्तार करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टर्मिनल और हवाई पट्टी दोनों के विस्तार को स्वीकृति देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)**

(क) से (ङ.): महाराष्ट्र में स्थित जलगांव हवाईअड्डा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाला एक प्रचालनरत हवाईअड्डा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने टर्मिनल भवन के मौजूदा 700 वर्ग मीटर से लगभग 1500 वर्ग मीटर तक विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया है, जो व्यस्त समय के दौरान 150 प्रस्थान करने वाले और 150 आगमन करने वाले यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। साथ ही, इसमें लाउंज, शिशु देखभाल कक्ष, शहर और हवाई क्षेत्र दोनों ओर कैनोपी और कार पार्किंग जैसी सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।

मौजूदा रनवे, जिसकी लंबाई 1700 मीटर है, एटीआर-72 विमान परिचालन के लिए उपयुक्त है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा संचालकों द्वारा समय-समय पर रनवे के विस्तार सहित हवाईअड्डों पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन का कार्य किया जाता है, जो विभिन्न कारकों, जैसे यात्री मांग का पूर्वानुमान, इच्छित विमान परिचालन से संबंधित प्रचालन आवश्यकताएं, एयरलाइनों की मांग, भूमि की उपलब्धता और वित्तीय व्यवहार्यता आदि पर निर्भर करता है।

\*\*\*\*\*